(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उपखंड-(i) में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2019

सं. 20/2019-सीमा शुल्क (गै.टै.)

सा.का.नि.__________(अ) सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एतद्द्वारा भारतीय गणराज्य और सिंगापुर गणराज्य के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता के अंतर्गत माल के मूल का सीमा शुल्क टैरिफ निर्धारण नियमावली, 2005 में और संशोधन किए जाने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) ये नियम भारतीय गणराज्य और सिंगापुर गणराज्य के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता के अंतर्गत माल के मूल का सीमा शुल्क टैरिफ निर्धारण(संशोधन) नियमावली, 2019 कहलाएंगे ।

(2) ये नियम शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगे ।

2. (1) भारतीय गणराज्य और सिंगापुर गणराज्य के बीच व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता के अंतर्गत माल के मूल उत्पादन का सीमा शुल्क टैरिफ निर्धारण नियमावली, 2005 में संलग्लक में, "बॉक्स 12" में,-

   "प्रमाणित" शब्द के लिए, "जारी" शब्द को प्रतिस्थापित किया जाएगा.

[फा.सं.सीबीईसी-15000/2/2010-ओएसडी (आईसीडी)]

(डॉ श्रीपार्वती एस. एल.)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट:- मुख्य नियम अधिसूचना सं. 59/2005-सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 20 जुलाई, 2005 को का.आ.1037(अ), दिनांक 20 जुलाई, 2005 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में, प्रकाशित किए गए थे और इसमें अंतिम बार सा.का.नि.881(अ) दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना सं. 79/2018 - सीमा शुल्क (एन.टी.) दिनांक 14 सितम्बर, 2018 के द्वारा संशोधन किया गया था।